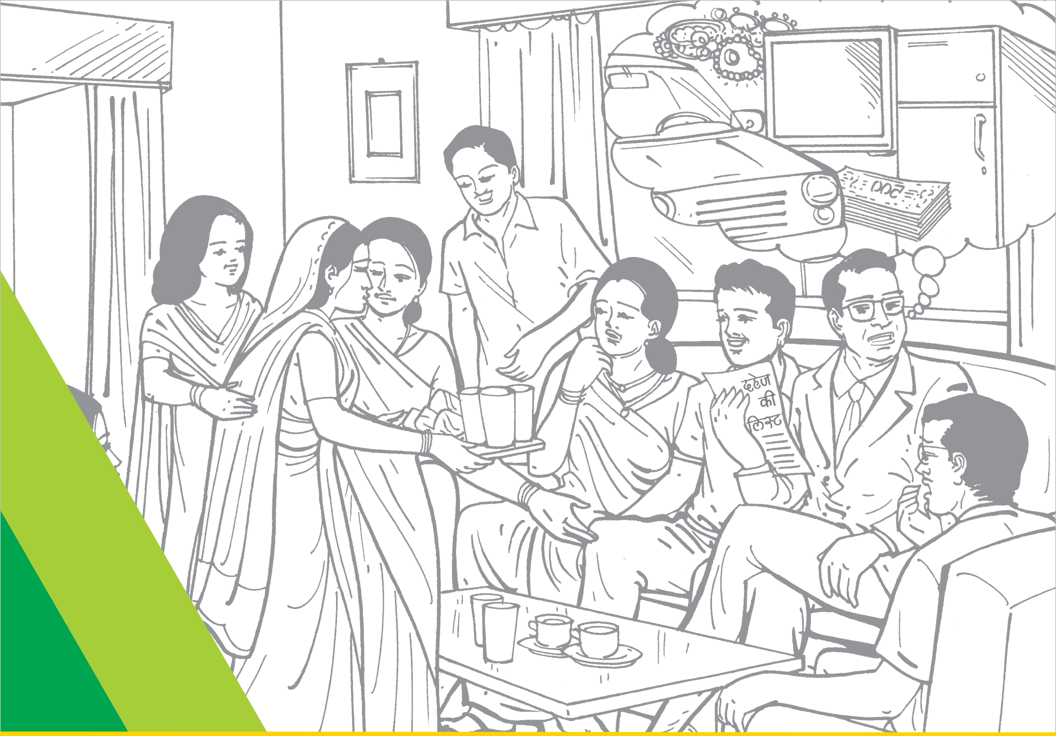

दहेज प्रथा

समस्या और समाधान

महिला विकास निगम, बिहार

समाज कल्याण विभाग

बिहार सरकार

महिला विकास निगम, बिहार द्वारा जनहित में प्रकाशित

विवाह और दहेजः कुछ परम्परागत तथ्य

विवाह एक ऐसा सामाजिक अवसर है जहां दो परिवार उपहारों का लेन–देन करते हैं। पर इन लेन–देनों में समानता नहीं होती, किसी एक पक्ष की ओर आमतौर पर झुकाव ज्यादा होता है। इसके अलावा विवाह के बाद भी काफी अर्से तक लेन–देन की यह प्रक्रिया चलती रहती है।

हमारे समाज में दहेज समुदाय के हर वर्ग तक पहुंच चुका है। इसका अमीरी–गरीबी से कोई ताल–मेल नहीं है और न ही सम्प्रदाय–जाति का भेद–भाव है। आज दहेज के रूप में मोटी रकम के साथ–साथ कार, फर्नीचर, कीमती कपड़े व भारी गहने भी वधू के परिवार से वर के परिवार भेजे जाते हैं। इसके अलावा वधू–पक्ष, वर–पक्ष एवं ब्याह के सारे खर्चे, जिसमें यात्रा खर्च भी शामिल होता है वहन करता है। यहीं नही वर–पक्ष को हक है कि वह कोई भी अप्रत्याशित मांग वधू के परिवार के सामने रखे और जिसे पूरी करना विवाह के लिए अनिवार्य समझा जाता है।

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की कुछ खास बातें

- दहेज का लेन–देन दोनों अपराध हैं। इसके लिए कम से कम पांच वर्ष कैद या पंद्रह हजार रुपये जुर्माना किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त दहेज की मांग करने पर भी छः मास सजा और दस हजार रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है।
- यह कानून महिलाओं को पति या ससुराल वालों से सम्पत्ति/सामान लेने की स्थिति में उनकी सुविधा के लिए बनाया गया है। इसके तहत महिला के नाम पर शादी के समय दी गई सारी सम्पत्ति/दहेज शादी के बाद तीन माह के भीतर महिला के नाम कर दिया जाएगा। अगर इस सम्पत्ति/दहेज की मिल्कियत पाने से पहले महिला की मौत हो जाती है तो महिला के वारिस इस सम्पत्ति/दहेज को वापस लेने की मांग कर सकते हैं। अगर विवाह के सात साल के अंदर महिला की मौत हो जाती तो सारा दहेज उसके माता–पिता या बच्चों को दिया जायेगा।
- दहेज हत्या के लिए सात साल की सजा दी जा सकती है। यह अपराध गैरजमानतीय है।
- दोषी व्यक्ति पर धारा 304 बी के साथ ही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 (हत्या) 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) 44 ए (क्रूरता) और दहेज विरोधी कानून सेक्शन 4 लगाया जा सकता है।

इस अधिनियम से क्या राहत मिल सकती है?

- **धारा 304 बी:** यह धारा दहेज हत्या के मामलों में सजा के लिए लागू की जाती है। दहेज हत्या का अर्थ है, अगर औरत की मौत जलने या किसी शारीरिक चोट के कारण हुई है या शादी के सात साल के अन्दर किन्हीं अन्य संदेहास्पद कारणों से हुई है। यह धारा उस समय भी लागू की जा सकती है, जब साबित हो जाए कि पति या उसके माता–पिता या अन्य संबंधी दहेज के लिए उसके साथ हिंसा और बदसलूकी कर रहे थे जिसके कारणवश औरत की मौत हो गई हो।
- **धारा 302:** यह धारा दहेज हत्या के आरोप में सजा के मामले में लागू की जाती है जिसमें उम्र क़ैद या फांसी की सजा हो सकती है।
- **धारा 306:** यह धारा मानसिक और भावनात्मक हिंसा, जिसके फलस्वरूप औरत आत्महत्या के लिए मजबूर हो गई हो, के मामलों में लागू होती है। इसके तहत जुर्माना तथा 10 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है।
- **धारा 498 ए:** यह धारा पति या रिश्तेदारों द्वारा दहेज के लालच में क्रूरता और हिंसा के लिए लागू की जाती है। यहां क्रूरता के मायने हैं औरत को आत्महत्या के लिए मजबूर करना, उसकी ज़िंदगी के लिए खतरा पैदा करना व दहेज के लिए सताना व हिंसा।

इस सभी धाराओं के अलावा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 113 ए, 174 (3) और धारा 176 भी दहेज व इससे जुड़ी हत्या की स्थिति में लागू की जा सकती है। इसके तहत दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज होने पर आत्महत्या या मौत की दूसरी वजह होने के बावजूद पुलिस छान–बीन, कानूनी कार्यवाही, लाश का पोस्टमार्टम आदि करने का आदेश दे सकती है; ख़ासतौर पर जब मौत विवाह के सात वर्ष के अन्दर हुई हो या फिर किसी पर दहेज हत्या का संदेह हो।

हम क्या कर सकते हैं?

दहेज के लेन–देन का विरोध कर एवं दहेज के दुष्प्रभावों के बारे में सामाजिक जागरूकता बढ़ा कर हम हजारों महिलाओं को उत्पीडित होने से बचा सकते हैं। दहेज उत्पीड़न की सूचना स्थानीय संरक्षण पदाधिकारी (जिला कल्याण पदाधिकारी) अथवा पुलिस को सूचित कर हम महिलाओं पर होने वाली हिंसा को रोक सकते हैं। इनके अलावा अपने जिला स्तर पर संचालित महिला हेल्पलाईन, पंचायत के मुखिया, सरपंच, स्वयं सहायता समूह की बहनों, पारा लीगल कार्यकर्ताओं, आँगनबाड़ी केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से भी मदद ली जा सकती है।

अब मैं नहीं डरती

क्योंकि मुझे मालूम है हेल्पलाईन नम्बर

181

सुरक्षा और आत्मसम्मान के लिए

Conceptualized, Designed & Printed by:
punament@gmail.com

हेल्पलाईन पर किस प्रकार की सहायता मिलेगी?

महिला हिंसा से संबंधित कोई भी शिकायत के निवारण में सहयोग के लिए सहायता मिलेगी।

हेल्पलाईन पर संपर्क कैसे करें?

किसी भी फोन या मोबाईल से नि:शुल्क 181 डायल करें।

क्या हेल्पलाईन पर संपर्क करने की कोई समय सीमा है?

कॉल करने का समय तत्काल सुबह 10 से शाम 6 बजे तक है, जिसे 24x7 किया जाना प्रस्तावित है।

UK aid
from the British people

महिला विकास निगम, बिहार
समाज कल्याण विभाग

बिहार सरकार

महिला विकास निगम, बिहार

समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार

दूसरी मंजिल, इंदिरा भवन, आर. सी. सिंह पथ, बेली रोड, पटना–800 001 (बिहार)
दूरभाष : 0612–2534 096, 2520 695, 2547 843, वेबसाईट : www.wdcbihar.org